

# अवधेश प्रताप रिंद विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

कानून/अकादमिक/अ0प्र0/2021/ 104 उ

रीवा, दिनांक ५.८.२४

## अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 के अन्तर्गत शिक्षा सकाय अन्तर्गत शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत आधिका अध्ययन मण्डल की कार्यवाही इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

## शिक्षा/शारीरिक शिक्षा अध्ययन मण्डल

अधिनियम	28(2) एक	1	रिवत
28(2) दो	1	डॉ० पंकजनाथ मिश्रा प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा, शास्त्रीय शिक्षा गहाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	
	2	डॉ० दीपा अग्निहोत्री प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा, शास्त्रीय शिक्षा गहाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	
28(2) तीन	1.	रिवत	
28(2) चार	1	डॉ० सुरेन्द्र त्रिपाठी राहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा गहाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)	
	2	डॉ० भरत कुमार विश्वकर्मा राहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा, श्रीयुत महाविद्यालय, गगेव, रीवा (म0प्र0)	
28(2) पाँच	1.	डॉ० छाया श्रीवारतव प्राचार्य, श्री रामाकृष्ण कॉलेज ऑफ एजूकेशन, सतना (म0प्र0)	
	2.	डॉ० अरुण कुमार मिश्रा राहायक प्राध्यापक, शिक्षा, श्रीयुत महाविद्यालय, गगेव, रीवा (म0प्र0)	

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० पंकजनाथ मिश्रा को शिक्षा/शारीरिक शिक्षा अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।

कृलसविव  
५.८.२४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- कुलाधिपति के प्रमुख रायिय, राजभवन भोपाल (म0प्र0)
- आयुल, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, रातपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)
- अध्ययन मण्डल के समरत रादरयगण।
- संविधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
- संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय-रियत।
- कुलरायिव, मध्यप्रदेश के समरत विश्वविद्यालय।
- निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म0प्र0)
- कुलपति जी के रायिव/कुलरायिव के निज राहायक

राहायक कुलसविव (अकादमिक)  
५.८.२४